न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 12/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. भंवरलाल पुत्र श्री चन्द्राराम जाति अहीर निवासी अहीरों की ढाणी तन खूड़ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति–

1. श्री भवानी सिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – **15.10.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 833 रकबा 2.67 है0 तन ग्राम खूड़ पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी का 1/5 हस्सा है जो वादी के नाम खातेदारी में भूरा पुत्र चन्द्राराम के नाम सें राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल है। वादी के नाम सें पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, आदि में वादी का नाम भंवरलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत खूड़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र श्री चन्द्राराम दर्ज है तथा भूरा एवं भंवरलाल एक ही व्यक्ति है। राजस्व कर्मचारियों की गलती सें वादी का नाम भंवरलाल की जगह भूरा दर्ज हो गया है जो गलत है। भूरा की जगह वादी का नाम भंवरलाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाकर तदनुसार संशोधन के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वादपत्र स्वीकार कर वादी का नाम भूरा के स्थान पर भंवरलाल दर्ज किया जाकर तदनुसार संशोधन किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार दांतारामगढ सें रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

3. वकील प्रार्थी/आवेदक की बहस पर मनन किया गया एवं आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ''ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र संलग्न दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक पासबुक सभी में आवेदक का सही नाम भंवरलाल है, भूमि जरिये विरासत प्राप्त हुई है अतः सभी दस्तावेज व रिपोर्ट प0ह0 के आधार पर भुरा पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र चन्द्राराम जाति अहीर शुद्ध करने की अभिशंषा की जाती है।'' प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्रम खूड़ तह0 दांतारामगढ की भूमि भूमि खसरा नम्बर 833 रकबा 2.67 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भूरा पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र चन्द्राराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner